

प्रेषक,

आर० एस० माथुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों/सहकारी कर्ताई मिल संघ लि०/
सहकारी चीनी मिल संघ लि० के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक ।

लखनऊ । दिनांक 19 दिसम्बर, 1994

विषय :- प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की सेवाओं में पदोन्नति का
मापदण्ड ।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम
अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण विषयक शासनादेश संख्या-13/34/90-का-1/1994, दिनांक 10 अक्टूबर, 1994 को शासन ने प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सेवाओं में भी लागू करने का निर्णय लिया है । उक्त शासनादेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है ।

2- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय,
आर० एस० माथुर,
प्रमुख सचिव।

संख्या: - 1920(1)/44-2-1994, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित सचिवालय के प्रशासनिक विभाग ।
- 2- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 3- कार्मिक अनुभाग-1/सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 ।

आज्ञा से,
देवी प्रसाद साहू,
अनु सचिव।